24/9/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी का उपरान्त प्रार्थना पत्र प्राप्त [illegible] निस्तारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/328

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.09.24 19:07:54 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

कलीमा व अन्य बनाम मोहम्मद ईसाक व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 आरटीए प्रकरण संख्याः–130/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम से तहसील सूरतगढ़ की रोही प्रभातनगर की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता संख्या 275 नया 01 पुराना में खसरा संख्या 687/277 में 4.756 हैक्टर इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 8 ता 12 के खाता संख्या 280 के खसरा संख्या 688/277 की 4.554 हैक्टर कुल 9.310 हैक्टर बारानी भूमि पुख्ता आवंटन दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1–2 का रोही प्रभातनगर के खसरा संख्या 687/277 व 688/277 में कहीं कोई रकबा नही है। उनका रकबा अन्य खसरों में है। प्रार्थीगण प्रभातनगर से बाहर आते–जाते रहते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के रकबा पर कब्जा करने की नियत रखते है। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अंकित काश्तकार है। अधिकारों की सुरक्षा हेतु अंकित भूमि की सीमा तक स्थाई निषेधाज्ञा पाने का पूर्ण अधिकारी है। शेष तथ्य वाद पत्र में तय किये जाने है। यदि वाद पत्र के निर्णय से पूर्व अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के रकबा पर कब्जा कर लिया तो वाद पत्र बेसुध हो जावेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1–2 को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के नाम अंकित व प्रभातनगर के खाता संख्या 275 नया के खसरा संख्या 687/277 के 4.756 हैक्टर व खाता संख्या 280 के खसरा संख्या 688/277 की 4.554 हैक्टर कुल 9.310 हेक्टर बारानी भूमि में वाद पत्र के निर्णय तक ना तो स्वयं प्रवेश करें एव ना ही अन्य किसी से करवायें वकील अप्रार्थी संख्या 1–2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के पति/पिता मोहम्मद हुसैन पुत्र दोले खां व प्रार्थीगण नं. 8 ता 12 के पति/पिता खुशी मोहम्मद वल्द लुणे खां, माम अली पुत्र मोहम्मद हुसैन के नाम से रोही प्रभातनगर के खसरा संख्या 687/277 व 688/277 में पेपर पुख्ता आवंटन हुआ है। जिस पर कभी इनका कब्जा काश्त नही रहा है। मात्र पेपर आवंटन के आधार पर कब्जा माने जाने योग्य है। जैरवाद भूमि राजस्व रिकार्ड में पेपर आवंटी दर्ज होने से उक्त जैरवाद भूमि को अजनबी क्रेतागण को बेचान करने की फिराक में है। गैर खातेदारी रका बिना कब्जा काश्त के बेचान होने से आवंटन नियमों के तहत खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावें। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम रोही प्रभातनगर के खसरा संख्या 687/277 में 4.756 हैक्टर एवं प्रार्थीगण संख्या 8 ता 12 के खसरा संख्या 688/277 की 4.554 हैक्टर कुल 9.310 हैक्टर बारानी भूमि पुख्ता आवंटन दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के रकबा में घुसने का प्रयास कर रहें हैं। प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहें हैं। अतः प्रार्थना पत्र साबित ना होने से [illegible] किया जाना हम उचित समझतें हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी[illegible] निरस्त किया जाता है। नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.24 19:07:54 IST
Reason: SelfAttested